

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.14991 of 2010

Chhotu Prasad, son of Sri Bansi Ram, resident of Village- Tenuat, P.O. & P.S.- Sakaldiha, Distt-Chandauli (U.P.) At Present Posted at Block Office-Konch, P.S.Konch, Distt-Gaya, Bihar

... .. Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar
2. The Principal Secretary, Road Construction Department, Government of Bihar, Patna.
3. The Secretary, Road Construction Department, Government of Bihar, Patna
4. The Engineer-in- Chief- cum Additional Commissioner-cum-Special Secretary, Road Construction Department, Government of Bihar, Patna

... .. Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s : Mr. Rajeev Kumar Singh, Advocate
For the State : Mr. Dinesh Maharaj, Advocate

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE ANIL KUMAR UPADHYAY
ORAL JUDGMENT

Date : 21-05-2021

The matter has been heard *via* video conferencing.

2. Heard Mr. Rajeev Kumar Singh, learned counsel for the petitioner and Mr. Dinesh Maharaj, for the State.

3. From the order dated 09.04.2021, it appears that learned Additional Advocate General has assured this Court that he would personally look into the



matter and ensure filing of supplementary counter affidavit in the next date fixed. The order dated 09.04.2021 is quoted below for ready reference:-

"Mr. P.K. Verma, learned Additional Advocate General informs this Court that on the previous occasion, direction was issued to respondent no. 4 to file supplementary counter affidavit but needful was not done. He submits that in 2010 matters, he will personally look into the issue and file counter affidavit latest by 24th of April, 2021 so that the writ application may be finally disposed of.

It is to be noted here that the petitioner has been inflicted major punishment in the departmental proceeding during the pendency of the criminal case for the same set of charges. In the departmental proceeding neither any witness has been examined nor any document was proved to substantiate the charge.

It has been brought on record by way of reply to the counter affidavit by the petitioner that the petitioner has been acquitted in criminal case vide judgment dated 30.11.2018(Annexure-11).

In the circumstances, Mr. Rajeev Kumar Singh, learned counsel appearing on behalf of



the petitioner submits that the order inflicting major punishment upon the petitioner is not sustainable in view of the law laid down by the Apex Court in the case of Kumaon Mandal Vikas Nigam Ltd. Vs. Girja Shankar Pant & Others reported in [(2001) 1 SCC 182] and the order relating to major punishment is unsustainable for non-adherence to the prescribed rule to conduct departmental proceeding particularly in view of the fact that on the same set of facts in criminal case, petitioner has been acquitted by the competent court.

Put up this case on 26.04.2021 to enable the respondents to file counter affidavit."

4. Mr. Dinesh Maharaj, learned counsel appearing on behalf of the respondents would submits that departmental proceeding is different from the criminal proceeding and both the proceedings can be proceeded simultaneously. He refers to the writ petition as well as counter affidavit and submits that departmental proceeding was conducted in accordance with the procedure prescribed for conduct of the departmental proceeding. He refers to memo no. 2812 dated 18.05.2005 (Annexure-4) which reflects that the



departmental proceeding has been initiated against the petitioner and the Under Secretary, Road Construction Department, Government of Bihar has been appointed as Presenting Officer. The Presenting Officer was present during the enquiry and after thorough enquiry, the Enquiry Officer returned the finding of guilt against the petitioner.

5. Mr. Rajeev Kumar Singh, learned counsel appearing on behalf of the petitioner would submit that in the instant case, in the criminal proceeding, the petitioner has been acquitted by the competent court but major punishment was inflicted upon the petitioner in the departmental proceeding which was only a mere formality as no witness was examined and no document was proved in the departmental proceeding. He submits that the Enquiry Officer proceeded with the enquiry is based on document but no document was proved in the departmental proceeding. Mr. Singh has highlighted the infirmity in the conduct of the departmental proceeding.



The enquiry report is Annexure-8 to the writ petition

which is quoted below for ready reference:-

श्री छोटू प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता,
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम दरभंगा, सम्प्रति कनीय
अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन, बिरौल प्रखंड, दरभंगा के
विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात प्रतिवेदन।

पथ निर्माण विभाग के कार्यालय आदेश सं0-65

दिनांक 18.05.05 सहपठिन ज्ञापांक 2812 (एस) दिनांक 18.05.05 के द्वारा श्री छोटू प्रसाद, कनीय अभियंता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने एवं प्रतिवेदन समर्पित करने के लिये निदेश दिया गया है। प्राप्त निदेश के आलोक में कनीय अभियंता श्री प्रसाद ने अपना बचाव बयान प्रस्तुत करने के लिये इस कार्यालय के विभिन्न पत्रों द्वारा दिनांक 03.06.2005 एवं 06.09.2005 को विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होकर प्रतिवेदन देने हेतु सूचित किया गया है। पत्र गलत पता होने के कारण विभाग में वापस लौट आया। इसी क्रम में दिनांक 03.10.05 को मेरे कार्यालय प्रकोष्ठ में श्री प्रसाद उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा सूचित किया गया है कि विधान सभा कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्र उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। पत्र को प्रतिलिपि संलग्न की जाती है। उनके अनुरोध पर दिनांक 29.10.05 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु सूचित किया गया।



श्री प्रसाद दिनांक 29.10.05 को उपस्थित हुये और अपना बचाव वयान प्रस्तुत किया जिसकी एक प्रति संलग्न को जाती है। इस बचाव वयान के साथ उनके द्वारा अपने कथन के साख्य में कोई अभिलेख संलग्न नहीं किया गया। उनके द्वारा सूचित किया गया कि अगली तिथि को सारे बिन्दुओं पर साख्य के साथ प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। श्री प्रसाद को दिनांक 26.11.05 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये सूचित किया गया। श्री प्रसाद उक्त तिथि को उपस्थित हुये पर कोई प्रतिवेदन नहीं दिये तथा उनके द्वारा कहा गया कि अगली तिथि को अपना प्रतिवेदन देंगे इस पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की जाती है। पुनः दिनांक 17.12.05 को विभागीय कार्यवाही के संचालन में उपस्थित होकर अपना बचाव वयान प्रस्तुत किये हैं, जिसकी प्रति संलग्न की जाती है। श्री छोटू प्रसाद के द्वारा अपने बचाव वयान में आरोप संख्या-1, आरोप संख्या-3 एवं आरोप संख्या-5 पर अपना प्रतिवेदन दिये हैं।

विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी भी लगातार श्री छोटू प्रसाद के बचाव वयान में जब कोई साक्ष्य नहीं दिया गया तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, कीरतपुर दरभंगा से इस कार्यालय के पत्रांक 2695 ई दिनांक 23.12.05 से विभिन्न बिन्दुओं पर सूचना की मांग की गयी। साथ ही साथ श्री प्रसाद को 22.01.06 एवं 18.02.06 को उपस्थित होकर अपना बचाव वयान



समर्पित करने हेतु सूचित किया गया। इसमें से एक पत्र का पत्रांक 269 (ई) दिनांक 23.12.2005 लौट आया जबकि पत्रांक 268 ई दिनांक 27.01.06 , जिसमें श्री प्रसाद को दिनांक 18.02.06 को उपस्थित होकर अपना बयान प्रस्तुत करने के लिये बुलाया गया था वह नहीं लौटा और न ही श्री प्रसाद ही उपस्थित हुये।

प्रखंड विकास पदाधिकारी कीरतपुर के द्वारा वांछित प्रतिवेदन नहीं दिया गया तो इस कार्यालय के पत्रांक 268 ई दिनांक 27.01.06 से स्मारित किया गया।

उक्त जितने भी पत्राचार किये गये हैं उन पत्रों को प्रति उपसचिव (निगरानी) को दी जाती रही है। इसी क्रम में उपसचिव सह मुख्य निगरानी पदाधिकारी के पत्रांक 5363 (एस) दिनांक 24.05.06 में प्रखंड विकास पदाधिकारी, कीरतपुर को एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जिसकी एक प्रति संलग्न है।

श्री छोटू प्रसाद के विरुद्ध गछित आरोप एवं समर्पित बचाव वयान जो बिना साक्ष्य के दिया गया है तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी कीरतपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आरोपवार प्रतिवेदन अंकित किया जाता है:-

आरोप संख्या -1-

वर्ष 2001 में जब आप कीरतपुर प्रखंड में पदस्थापित को, उस समय ग्राम पंचायत ढौसा मुसहरिया, रघुनाथपुर रामखेतरिया, चकला, खबरदोपुर, लक्ष्मीपुर, झकोरवा



में सरकार की ओर से वर्ष 2001 में आये बाढ एवं उससे हुए क्षति के लिये राहत के रकम में सवा चार सौ क्विंटल गेहूँ और सवा लाख नगद भुगतान करने हेतु मिला था तथा उसके वितरण के लिये श्री कमल होदा मुखिया, श्री रामकरण सिंह पंचायत सेवक, श्री मो० नौशाद जनसेवक तथा आपको प्रभारी बनाया गया था।

इस आरोप के संबंध में कहना है कि श्री प्रसाद के पदस्थापन काल में कौरतपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत राज ढौसा, मुसहरिया, रघुनाथपुर, रामखेतिया, चकला, बरदीपुर , लक्ष्मीपुर, ककोरवा में सरकार की ओर से वर्ष 2001 में आये वाद एवं उससे क्षति के लिये राहत के रकम में सवा चार सौ क्विंटल गेहूँ और एक लाख पचीस हजार रूपया नगद भुगतान करने हेतु मिला था। उसके वितरण के लिये श्री कमल होदा, मुखिया , श्री रामकरण सिंह, पंचायत सेवक एवं श्री मो० नौशाद जनसेवक तथा इसके प्रभारी छोटू प्रसाद कनीय अभियंता थे। उनके बचाव वयान से स्पष्ट हो जाता है कि इस कार्य के प्रभारी श्री छोटू प्रसाद थे। अतः आरोप प्रमाणित है।

आरोप संख्या 2,3 एवं 4 –

2. राहत वितरण हेतु बाढ प्रभावित लोगों की सूची वार्ड सदस्यों के हस्ताक्षर के उपरांत श्री कमल होदा, जैनूल अवदीन मुखिया ढौसा को ग्रामीणों द्वारा उपलब्ध कराया गया था तथा उसकी जानकारी आप सबों को दी गयी थी।



3 मुखिया, पंचायत सेवक, जनसेवक एवं आपके द्वारा ग्रामीण जनता को बराबर आश्वासन दिया गया कि राहत वितरण होने वाला है, परंतु उक्त सामान प्रखंड मुख्यालय से उठाकर लाने के बावजूद उनका वितरण नहीं कर आप सबों के द्वारा मिलीभगत कर षडयंत्र रचकर एवं एकरार कर सवा चार सौ क्विंटल गेहूँ एवं सवा लाख रुपया नगद को जाली अंगूठा देकर जाली रिलीफ का भाउचर बना कर रुपया एवं गेहूँ आपस में बंदरवांट कर ग्रामीणों को राहत से वंचित कर खूद नाजायज लाभ पहुँचाया।

4. वर्ष 2001 को बाद में ग्राम पंचायत राज ढौसा जमालपुर में बाढ सहायता मदमें 200 दो सौ क्विंटल गेहूँ एवं नगद अनुदान राशि 1,05,250/- रुपया के वितरण में अनियमितता संबंधी प्राप्त परिवाद को पुनः जाँच दिनांक 5.09.02 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा से करायी गयी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पत्रांक 976 दिनांक 20.09.02 द्वारा उक्त मामला में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में यह निहित था कि वितरण की गयी कार्रवाई संदेहास्पद है एवं गेहूँ तथा नगद वितरण के अभिश्रव को सत्यापित करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाय। इस संबंध में जमालपुर थाना कांड सं 22/2002 के अन्तर्गत दर्ज प्राथमिकों में आपको भी आरोपी बनाया गया है।

इस संबंध में श्री प्रसाद का कहना है कि राज



ढौसा पंचायत अन्तर्गत ढौसा, मुसहरिया रघुनाथपुर, रामखोतरिया, चकला, बरदीपुर लक्ष्मीपुर एवं ककोरवा अवस्थित हैं। ग्राम पंचायत ढौसा के तत्कालीन पंचायत सेवक सह पंचायत सचिव श्री राम करण सिंह द्वारा मात्र ग्राम ढौसा के बाद पीड़ितों के लिये नगद राशि वितरण हेतु 421 परिवार की सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी कीरतपुर के समक्ष समर्पित की गयी।

प्रखंड विकास पदाधिकारी कीरतपुर द्वारा समर्पित सूची के अनुमोदनोपरांत ग्राम ढौसा में प्रखंड कीरतपुर अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष मो० आलम, ग्राम पंचायत ढौसा के पंचायत मुखिया श्री कमल हौदा पंचायत सेवक सह पंचायत सचिव श्री राम करण सिंह एवं ग्राम पंचायत ढौसा के समाजिक कार्यकर्ता मो० जलालुददीन को उपस्थिति में पंचायत सेवक सह पंचायत सचिव श्री राम करण सिंह एवं पंचायत मुखिया श्री कमल होदा के द्वारा पहचान करने एवं अंगूठा निशान लेने के उपरांत कुल 105250/- रूपया 421 बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरण किया गया। अभिश्रव पर उपरोक्त सभी का हस्ताक्षर सत्यापन करा लिया गया। श्री प्रसाद द्वारा यह कहा गया है कि दिनांक 10.10.2001 को 125000 रूपया का अग्रिम उनके द्वारा प्राप्त किया गया, जिसमें 105250/- रूपया नगद ढौसा ग्राम में ही वितरण किया है शेष राशि 19750/- रूपया कुबोलदाहा ग्राम पंचायत में वितरित किया गया। 425 क्विंटल गेहूँ के संबंध में



उनके द्वारा कहा गया है कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। कीरतपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार ग्राम ढौसा में हों 421 बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच राशि वितरण की गयी और शेष 19750/- रूपया कुबोलदाहा पंचायत में वार्ड 1 के कुबोलग्राम में बाढ़ पिड़ितों के बीच बांटा गया।

जब सरकार की ओर से ग्राम पंचायत ढौसा अन्तर्गत ग्राम ढौसा, मुसहरिया, रघूनाथपुर रामखोतरिया चकला, बरदीपुर, लक्ष्मीपुर ककोरवा में बाढ़ पिड़ितों के बीच राशि एवं गेहूँ वितरण किया जाना था, तो इस आदेश के विरुद्ध ग्राम ढौसा में ही लोगों के बीच एवं कुबौलढाडा पंचायत के वार्ड-1 के बुबौल गांव में वितरीत किया गया है। इसमें सरकारी आदेश की अवहेलना हुयी है राशि अपने मन से प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सेवक, पंचायत मुखिया एवं कनीय अभियंता श्री प्रसाद के मिलीभगत से हो इस तरह की अनियमितता हुई है। इस तरह आरोप सं0 – 2,3, एवं 4 प्रमाणित होता है।

आरोप संख्या 5

आपके प्रखंड कार्यालय कीरतपुर के पदस्थापन काल में विभिन्न पदों में ली गयी कुल अग्रिम 850764/- रूपया के समायोजनार्थ विपत्र. प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। आपको उक्त अग्रिम के समायोजनार्थ कई निदेश भी



दिये गये हैं। अंतिम निदेश निबंधित पत्र सं०-1350 दिनांक 24.09.02 द्वारा जारी किये जाने के बावजूद आपके स्तर से राशि के समायोजनार्थ कार्रवाई नहीं किये जाने के सरकारी राशि के गवन एवं उच्चाधिकारियों के आदेश का उलंघन किया जाना परिलक्षित होता है।

ओरोप संख्या 5 में श्री छोटू प्रसाद पर विभिन्न पदों में लिये गये अग्रिम राशि 850764/- रुपये का समायोजन एवं विपत्र प्रस्तुत नहीं करने की बात कही गयी है। इसके बचाव वयान में श्री प्रसाद के द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जबकि वर्तमान में प्रखंड विकास पदाधिकारी, कीरतपुर द्वारा सूचित किया गया है कि श्री प्रसाद कनीय अभियंता के नाम पर 850764/- रुपया की राशि अभी तक बकाया है। इस तरह यह आरोप भी प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त आरोप से संबंधित सभी बचाव-वयान की प्रति एवं वर्तमान में पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी कीरतपुर के प्रतिवेदन को प्रति संलग्न की जाती है। विभिन्न तिथियों को पत्रों से श्री प्रसाद को इस कार्यालय में उपस्थित होकर बचाव वयान प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है उसकी प्रति निगरानी शाखा को दी जाती रही है। अतः अनुरोध है कि श्री प्रसाद के नाम पर 850764/- रुपया के लंबित चले आ रहे राशि की वसूली करते हुये आगे की कार्रवाई की जाय।

निरंजन कुमार



उपनिदेशक (क़य एवं परि)–सह–संचालन पदाधिकारी
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

6. Learned counsel appearing on behalf of the petitioner would submits that the initiation of departmental proceeding and inflicting major punishment is based on the report of the Block Development Officer. In numerous judgments, the Apex Court has emphasized on conduct of fair departmental proceeding. Time and again, it is reiterated by the Apex Court that the fair like criminal trial has to be taken by the respondents while conducting departmental proceeding. He refers in this regard a judgment reported in AIR 1964 SC 364 (Union of India versus H.C. Goel). Paragraph 27 of the judgment is quoted below for ready reference:-

"Now, in this state of the evidence, how can it be said that the respondent even attempted to offer a bribe to Mr. Rajagopalan. Mr. Rajagopalan makes a definite statement that the respondent did not offer him a bribe. He merely refers to the fact that the respondent took out a paper from his wallet and the said paper appeared to him



like a hundred rupee note double folded. Undoubtedly, Mr. Rajagopalan suspected the respondent's conduct, and so, made a report immediately. But the suspicion entertained by Mr. Rajagopalan cannot, in law, be treated as evidence against the respondent even though there is no doubt that Mr. Rajagopalan is a straight-forward and an honest officer. Though we fully appreciate the anxiety of the appellant to root out corruption from public service, we cannot ignore the fact that in carrying out the said purpose, mere suspicion should not be allowed to take the place of proof even in domestic enquiries. It may be that the technical rules which govern criminal trials in courts may not necessarily apply to disciplinary proceedings, but nevertheless, the principle that in punishing the guilty scrupulous care must be taken to see that the innocent are not punished, applies as much to regular criminal trials as to disciplinary enquiries held under the statutory rules. We have very carefully considered the evidence led in the present enquiry and borne in mind the plea made by the learned Attorney-General, but we are unable to hold that on the record, there is any evidence which can sustain the finding of the appellant that charge No. 3 has been proved against the



respondent. It is in this connection and only incidentally that it may be relevant to add that the U.P.S.C. considered the matter twice and came to the firm decision that the main charge against the respondent had not been established."

7. It is elementary principle of law that the allegation has been proved in the departmental proceeding after compliance of principles of nature justice. The allegation will not be enough and it has to be proved in accordance with law.

8. Considering the fact that the report of the Block Development Officer was the basis for initiation of departmental proceeding against the petitioner, it was incumbent on the part of the respondents to examine the Block Development Officer for framing of the charges but that was not done. In fact not a single witness has been examined in the departmental proceeding. The petitioner has been inflicted major punishment which is not sustainable in the eyes of law. As stated above, in the criminal case, for the same set



of facts, the petitioner has been acquitted.

9. Accordingly, the writ application stands allowed with a cost of Rs. 50,000/- in favour of the petitioner.

10. The orders dated 10.08.2009 as contained in Memo No. 2927(E) issued by the Engineer-in-Chief-cum-Additional Commissioner-cum-Special Secretary, Department of Road Construction, Government of Bihar (Annexure-1) and the order dated 21.06.2010 as contained in Memo No. 2452(E) issued by the Engineer-in-Chief-cum-Additional Commissioner -cum- Special Secretary, Department of Road Construction, Government of Bihar (Annexure-2) are quashed.

11. The respondents are directed to ensure payment of all the benefits to the petitioner in accordance with the direction issued hereinabove within a period of three months from today, failing which, the entire arrears will carry interest at the rate of 9 percent per *annum* from the date of inflicting punishment till the



date of actual payment.

12. With the aforesaid observation/direction,
the writ petition stands allowed and disposed off.

(Anil Kumar Upadhyay, J)

Shageer/-

| | |
|----------------|------------|
| AFR/NAFR | NAFR |
| CAV DATE | N/A |
| Uploading Date | 31/05/2021 |

